RCNS
20/9/00/44

आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ

विमल कंवर बनाम अशोक कुमार व अन्य

प्रकरण अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट अपील संख्या 69 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
02.07.19	वकील अपीलांट द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। कैवियटकर्ता के वकील हाजिर हुए। अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी विजयनगर के आदेश दिनांक 27.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि चक 14 एस.डी. के जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता सं. 3 के प.नं. 123/400 के मु.नं. 46 के कि.नं. 11/2 के 0.202है0, 12 सालम, 13 के 0.240है0, 14 के 0.089है0, 19 के 0.114है0, 20/2 के 0.190है0, 21 के 0.013है0 कुल 1.101है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि को रिसीवर किया जाकर तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिये कि अप्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल कर बहक सरकार कब्जा लिया जावे एवं काश्त की व्यवस्था करे। स्थगन प्रा.पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रा.पत्र पर अपनी बहस करते हुए कथन किया कि लखुराम पुत्र रामजस को भारत सरकार द्वारा चक 14 एस.डी.एस. तहसील विजयनगर में प.नं. 123/400 में 25 बीघा रकबा आवंटन किया गया था। उक्त रकबा में से	

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट ने मु.नं. 46 के कि.नं. 11 से 14, 20, 21 की कुल 4 बीघा 7 बिस्वा अर्थात 1.101है0 रकबा का सौदा अपीलांट ने दिनांक 10.08.87 को 31000/–रूपये में किया जिसमें अपीलांट से उस रोज 22000/– रूपये नगद प्राप्त करके, इकरारनामा तहरीर तकमील करवाकर कब्जा अपीलांट को सौंप दिया। इकरारनामा के अनुसार खातेदारी सनद जारी होने के बाद रजिस्टरी बैयनामा करवाने का तय किया गया। मगर लखुराम का स्वर्गवास हो गया उसके उत्तराधिकारियों द्वारा बैयनामा नहीं करवाया। अपीलांट उक्त रकबे पर साधिकार काबिज है। रेस्पों. लालचवश अपीलांट को नुकसान पंहुचाना चाहते है। यदि वे अपने मकसद में सफल हो गये तो अपीलांट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। मौके पर फसल काश्त है। अतः अपीलांट अपना तथा अपने परिवार के जीवन निर्वाह से वंचित होगी। अतः निवेदन है कि ता फैसला अपील अधी. न्यायालय का आदेश दिनांक 27.06.2019 का कियान्वयन स्थगित रखने का आदेश फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों सं. 1 ने प्रा.पत्र का जबाब पेश कर अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैन्ड से नहीं आयी है एवं तथ्यों को छुपाया है। इसलिए कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ने कथन किया कि अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दीवानी वाद पत्र बाबत विनिर्दिष्ट अनुपालना का वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश रायसिंहनगर के द्वारा निरस्त फरमाया गया है। इस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आदेश के खिलाफ प्रस्तुत अपील माननीय अपर जिला न्यायाधीश, रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 29.03.2019 को निरस्त कर दी गई। पूर्व में अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर के द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी भी निरस्त कर दिया गया एवं इसके खिलाफ प्रस्तुत की गई अपील में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई स्थगन आदेश नहीं दिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ने कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा तमाम तथ्यों एंव विधिक प्रावधानों को मध्यनजर रखकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपीलांट का प्रा.पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(i) वकील अपीलांट का केवल मात्र यही कथन है कि अधी. न्यायालय द्वारा मामलें में रिसीवरी का आदेश गलत किया है और उक्त सभी तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह माना कि उसके द्वारा वर्ष 1987 में रेस्पों. के पिता जोकि भारत सरकार द्वारा आवंटी से 4 बीघा 7 विस्वा 31000/– रूपये में खरीदने का करार किया जिसके आधार पर मैं उक्त भूमि पर कब्जे में वैध रूप से स्थित हूँ। अतः वैध कब्जे से रिसीवरी द्वारा बेदखल करने का अधी. न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है।

(ii) अपीलांट अधी. न्यायालय के निर्णय व प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा उठाए गये प्रश्नों का सन्तुष्टिकारक जबाब देने में असमर्थ रहे कि उनका कब्जा किस प्रकार वैध है? जबकि वह स्वयं सिविल न्यायालों में अपने कथित इकरारनामें के

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आधार पर specific relief Act के तहत दावे में व अपील में प्रथमतः मियाद के बिन्दुपर ही असफल हो चुके च उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुतोष नहीं मिला इससे सिद्ध है कि उसका कब्जा हैसियत अवैध व अतिक्रमी की है।

(iii) अधी. न्यायालय के समक्ष वाद 183 आर.टी.एक्ट के तहत विचारणीय है जिसमें उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर वादीगणों द्वारा प्रस्तुत स्थगन व रिसीवरी की मांग के प्राथना पत्र में अपने विस्तृत विवेचन में विवादित कब्जे शुदा भूमि को property in medeo मानते हुए सही निर्णय पारित किया है।

(iv) प्रस्तुत मामले में दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है। मूल वाद अधी. न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मामलें में विद्वान अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना श्रेयस्कर प्रतीत नहीं होता। अतः अपील एडमिशन स्तर पर ही निरस्त करना उचित पाते हुए फैसल शुमार हो। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
श्रीगंगानगर (राज.)